न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 75/2021
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण — 1. खेमाराम 2. टीकमाराम 3. नीम्बाराम पि. नवलाराम जाति जाट निवासी नरोणियों का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण — 1. उदाराम 2. केसराराम पि. गिरधारीराम 3. वालीदेवी पत्नी गिरधारीराम 4. विकास 5. नरेन्द्रसिंह पिसरान खेराजराम 6. तीजोंदेवी पत्नी खेराजराम 7. जोधाराम 8. जगमालराम पि. चेनाराम विप्रार्थी सं. 5 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता विप्रार्थी सं. 6 तीजोंदेवी पत्नी खेराजराम जाति जाट निवासी नरोणियों का तला (तारातरा) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण — प्रार्थी वकील — श्री शाकर खान एच (उपस्थित)
विप्रार्थीगण वकील — श्री बाबूलाल विश्नोई (अनुपस्थित)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 28.01.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा नरोणियों का तला पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 1337 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 1413/1338 रकबा 116.12 बिघा कुल रकबा 117.02 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत के सेढ़े पर विप्रार्थी सं. 1 से 8 के खातेदारी खेत मौजा नरोणियों का तला पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 1412/1338 रकबा 75.06 बीघा ... नगर के खेत खसरा संख्या 1290 रकबा 36.02 बीघा व खसरा संख्या 1355 रकबा 05.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

व विप्रार्थीगण स्व. सरूपाराम के वंशज है। सरूपाराम के दो पुत्र थे नवलाराम व चैनाराम। प्रार्थीगण के पिता नवलाराम व विप्रार्थी सं. 1 से 8 के पिता व दादा चेनाराम थे।

वक्त सेटलमेंट से आज तक प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मौखिक बंटवाड़ा कर कणा व बाड़ें बनाई हुई थी उसी अनुसार आज भी प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा–काश्त है एवं मौके पर पक्की रहवासी ढाणियां, पशुबाड़े व टांके बनाये हुए है। मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार कानूनी बंटवाड़ा करवाकर अलग–अलग खातेदारी करवाई गई एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी के पास जाकर अपने खातेदारी भूमि का नक्शा ट्रेस नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि विप्रार्थीगण ने अपने धनबल एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपनी मनमर्जी अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1413/1338, 1337 एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1336, 1412/1338 भूमि की पूर्व में की गई सही व सत्य नक्शा ट्रेस की तरमीम को अपनी मनमर्जी अनुसार बदलकर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के लिए तथा रहवासी ढाणियों को नुकसान पहुंचाने हेतु नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जिससे प्रार्थीगण के कब्जेसुदा ढाणियां व टांके की भूमि विप्रार्थीगण के कब्जे में चली गई है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी खेत मौजा नरोणियों का तला पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन में खसरा सं. 1337 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 1413/1338 रकबा 116.12 बिघा कुल रकबा 117.02 बीघा व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा नरोणियों का तला पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन में खसरा संख्या 1412/1338 रकबा 75.06 बीघा व मौजा शहीद धर्माराम नगर के खेत खसरा संख्या 1290 रकबा 36.02 बीघा व खसरा संख्या 1355 रकबा 05.00 बीघा की लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम को खारिज कर मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 21.11.2012 व संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरुस्त करवाने चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्राथीगण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया। आवेदन के निस्तारण के लिए वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरूस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:34:15 IST
Reason: SelfAttested